(5)

न्यायालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी—काना राम आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः—147 / 2024 विविध (235 आरटीए एक्ट)

शिशपाल पुत्र श्री कुरडा उर्फ रघुवीर जाति खाती निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

——प्रार्थी

बनाम

1. श्री पंकज गढवाल सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ।
2. कुरडा उर्फ रघुवीर पुत्र हरचंद जाति खाती निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. जयप्रकाश पुत्र कुरडा उर्फ रघुवीर जाति खाती निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. मैना पुत्री कुरडा उर्फ रघुवीर जाति खाती निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत अन्यत्र न्यायालय में स्थानांतरण।

उपस्थितः—1. श्री चन्द्रशेखर अधिवक्ता—प्रार्थी।
2. शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधिवक्ता।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

दिनांकः—04.06.2025

—:निर्णयः—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 के विरूद्ध एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए अनवानी शिशपाल बनाम कुरडा आदि वाद संख्या 745 / 2023 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर टी एक्ट अनवानी शिशपाल बनाम कुरडा आदि प्रकरण संख्या 243 / 2023 अप्रार्थी संख्या 1 के न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी नोहर मे प्रस्तुत किया हुआ है जो अभी विचाराधीन है। उपखण्ड न्यायालय ने प्रार्थी के पक्ष मे अस्थायी निषेधाज्ञा तारीख 27.09.2023 को जारी करते हुए चक 6 आर एम जी तहसील नोहर की खाता संख्या 6/6 की कुल 12 किता की 1.8975 एवं रोही मौजा चक 6 आर एम जी तहसील नोहर के खाता संख्या 87/86 की कुल 16 किता की 2.5300 है0 में प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि को रहन बैय मुंतकिल न करने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 को स्थगित किया हुआ है। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 प्रभावशाली व्यक्ति है एवं राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है जिनसे अप्रार्थी संख्या 1 पर निरंतर दबाव डालकर प्रकरण का निर्णय अपने पक्ष मे करवाना चाहते है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 राजनैतिक दबाव मे आकर प्रकरण का निर्णय प्रार्थी के खिलाफ करने पर उतारू है। प्रार्थी ने कई बार अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 को अप्रार्थी संख्या 1 के चैम्बर मे भी आते जाते देखा है। जिससे प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नही है तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 मुझ प्रार्थी को धमकी दे रहे है कि सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी नोहर अप्रार्थीगण के कहने अनुसार ही निर्णय पारित करेगे, ऐसी सूरत मे अप्रार्थी संख्या 1 से प्रार्थी को न्याय मिलने व सही निर्णय होने की संभावना नही है।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

6

यदि अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 अपने इस अनुचित मकसद मे कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी तथा न्याय से वंचित हो जायेगा। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर टी ए मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के न्यायालय में लम्बित प्रकरण– शिशपाल बनाम कुरडा आदि वाद संख्या 745/2023 व प्रार्थना पत्र संख्या 243/2023 अन्यत्र सम्बधित राजस्व न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी सहा. कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर की तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई।

अप्रार्थी सं. 01 पंकज गढवाल के सम्बध में चाही गई तथ्यात्मक रिपोर्ट / टिप्पणी इस प्रकार से है कि प्रार्थी शिशपाल पुत्र कुरडाराम जाति खाती निवासी बडबिराना के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत वाद एव 212 आरटीएक्ट का स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जो उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थी के अधिवक्ता को वाद / प्रार्थना पत्र पेश होने पर स्थगन प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय सुना जाकर दिनांक 27.09.2023 को रोही मौजा चक 6 आरएमजी के खाता संख्या 6/6 की 1.8975 है0 व रोही मौजा चक 6 आरएमजी के खाता संख्या 87/86 की कुल 2.5300 है0 भूमि में से प्रार्थी / वादी के हक हिस्सा की भूमि को रहन बेय मुन्तकिल नही करने का स्थगन आदेश जारी किया जाकर प्रकरण में दिनांक 27.10.2024 तारीख पेशी निर्धारित की गई एवं प्रतिवादी / गैरसायलान को जरिये सम्मन / रजिस्टर सम्मन तलब करने के आदेश पारित किये गये। प्रार्थी / वादी का प्रार्थना पत्र प्रतिवादी / गैरसायलान के द्वारा जबाव पेश किया जा चुका है। वर्तमान में प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी के जबाब प्रतिवादी / गैरसायल हेतु विचाराधीन चल रही है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र / वाद में प्रतिवादीगण का जबाब / साक्ष्य लिया जाना है। जबाब साक्ष्य सबुत प्राप्त करने के उपरान्त उभयपक्षों की बहस सुनी जाने के उपरान्त ही किसी प्रकार का निर्णय पारित किया जा सकता है। वर्तमान में प्रकरण में किसी प्रकार के आदेश पारित नही किये जा रही है, ना ही निर्णय पर पत्रावली विचाराधीन है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत गुन्ताकिल प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य निराधार एव मनगढत एव अपने प्रार्थना पत्र को रंगत देने के उदेश्य से अंकित किये गये है, उपखण्ड अधिकारी उभयपक्षों में से किसी भी पक्षकार को नही जानता है, ना ही पहचानता है। इस प्रकार प्रार्थीया का वाद / प्रार्थना पत्र अनवानी शिशपाल बनाम कुरडा न्यायालय हाजा में विधिवत रूप से विचाराधीन है एवं वर्तमान में प्रकरण प्रतिवादीगण / गैरसायल के जबाव प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी हेतु विचाराधीन है, जिसमें इस न्यायालय के निर्देशो के उपरान्त ही आगामी कार्यवाही की जावेगी तथा प्रार्थी को विधि अनुकुल सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर दिया जा रहा है फिर भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो किसी प्रकार को ऐतराज नही है।

अप्रार्थीगण 02 ता 04 के संबंध में जबाव इस प्रकार है कि प्रार्थी शीशपाल ने झूठे तथ्य पेश कर अनवानी प्रकरण शीशपाल बनाम कुरडा के द्वारा वाद संख्या 745 / 2022 के साथ प्रार्थना–पत्र आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 243 / 2023 उपखण्ड अधिकारी नोहर से एक पक्षीय सुनवाई करवाकर दिनाक 27.09.2023 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। जो आज तक लागू है व उक्त पत्रावली इस न्यायालय के मार्गदर्शन पर जैरकार है। रोही 6 आरएमजी के खाता संख्या 6 / 6 की सम्पूर्ण भूमि में नोट दर्ज होने के कारण कोई भी कार्य नही हो पाने के कारण अप्रार्थी को शीघ्र न्याय प्राप्त करने में विलम्ब हो रहा हैं। इस कारण वादी व प्रार्थी शीशपाल उपखण्ड न्यायालय में न्यायिक कार्यवाही को आगे नही बढाना चाहता। प्रार्थी, अप्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर विधि विरूद्ध स्थगन आदेश दिनांक 27.09.2023 को कायम रखना चाहता है। वाद की न्यायिक सुनवाई को लम्बित करने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष बिना किसी आधार के प्रार्थना–पत्र पेश किया है। प्रार्थी शीशपाल सदभाविक नही हैं ।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ

Scanned with OKEN Scanner

(7)

र्थी / वादी के द्वारा उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में पेश वाद–पत्र व प्रार्थना–पत्र में चाहे गये अनुतोष को स्वीकार करते हुए सहमति–पत्र राजीनामा अप्रार्थीगण संख्या 2 व 4 के द्वारा दिनांक 02.12. 2024 को पेश कर दिया है लेकिन फिर भी वादी / प्रार्थी शिशपाल वाद का निस्तारण नही होने देना चाहता। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र बमय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र को मय हर्जाना खारीज फरमाया जावे।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात प्रार्थना पत्र में पैरवी हेतु कई बार अवसर दिये गये परन्तु वकील प्रार्थी अनुपस्थित रहे। वकील प्रार्थी को बार–बार आवाज लगाई गयी, फिर भी वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं आये। वकील अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व में ही जवाब एवं लिखित बहस प्रस्तुत की गयी है।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में विचारण न्यायालय पर जो आक्षेप अंकित किये है वे झूठे व निराधार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 01 पर जो आरोप लगाये गये है, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकरी, नोहर की टिप्पणी के अनुसार सब असत्य एवं मिथ्या है। प्रार्थी ने प्रश्नगत विचाराधीन प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। फिर भी प्रश्नगत प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो इसमें कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई है।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर के जवाब का अवलोकन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं जवाब/लिखित बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर के न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 745 / 2023 अनवानी शिशपाल बनाम कुरडा आदि के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर टी एक्ट प्रकरण संख्या 243 / 2023 अनवानी शिशपाल बनाम कुरडा आदि को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण करवाने के सम्बन्ध में है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व उपखण्ड अधिकारी नोहर के जवाब का अवलोकन किया गया। अवलोकन के पश्चात पाया गया कि मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी नोहर के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं है। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी नोहर को निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत प्रकरण में न्यायिक प्रकिया को अपनाते हुए समुचित कार्यवाही करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी नोहर को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

आदेश आज दिनाक 04.06.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला कलक्टर
जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ सत्यमेव जयते

Scanned with OKEN Scanner